

अनुदान संख्या 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 88-MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2446,00,00		
पूरक	Supplementary	5,03,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		2398,28,34	-52,74,66
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-		139,00,00	-5,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			48,11,72

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (5274.66 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 503.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5274.66 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.503.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services			
मू.	O.	2267.00		
पु.	R.	-123.00	2144.00	2112.96
				-31.04

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	28851.00	20484.91	20526.05	+41.14
पू.	S.	502.00			
पु.	R.	-8868.09			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	33761.00	29290.01	28876.75	-413.26
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-4471.99			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	9700.00
पु.	R.	-9700.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	169110.00	188155.37	188150.71	-4.66
पु.	R.	19045.37			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	905.00		
			216.69	161.40
पु.	R.	-688.31		-55.29
(I) 13560.00 लाख रु. का प्रावधान उनतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से 12425.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-	(I) Provision of Rs.13560.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty nine heads; of these Rs.12425.00 lakhs accounted for under the following major heads:-			
(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" -	(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Castes - Education" -			
(क) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां" - 200.00 लाख रु.; और	(a) "Post-Matric Scholarships" - Rs.200.00 lakhs; and			
(ख) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए संस्थाओं को अनुदान" - 500.00 लाख रु.।	(b) "Grants to Institutions for Post Matric Scholarship" - Rs.500.00 lakhs.			
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।	Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from Union Territory Administration/Institutions.			
(खा) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं को सहायता" - 350.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।	(B) Major Head "2235" - "Social Welfare - Assistance to Voluntary Organisations - Assistance to Voluntary Organisations/Panchayati Raj Institutions for Construction of Old Aged Homes" - Rs.350.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.			
(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -	(C) Major Head "2552" -			
(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" -	(a) "Welfare of Scheduled Castes - Education" -			

- (i) "बालिका छात्रावास" - 400.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित और सिक्किम की राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे;
- (ii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 1500.00 लाख रु.;
- (ख) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य व्यय - मैला ढोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की स्वरोजगार स्कीम" - 300.00 लाख रु.;
- (ग) "समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण" -
- (i) "विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण" - 1000.00 लाख रु.;
- (ii) "विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम" - 350.00 लाख रु.;
- (iii) "दीन दयाल विकलांग पुनर्वास स्कीमें" - 950.00 लाख रु.;
- (iv) "राष्ट्रीय संस्थानों को निधीयन के लिए स्कीमें" - 250.00 लाख रु.;
- (घ) "समाज कल्याण - मद्यनिषेध - मद्यनिषेध और नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए शिक्षा कार्य" - 500.00 लाख रु.;
- (ङ) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा" -
- (i) "बालक और बालिका छात्रावास"- 350.00 लाख रु.;
- (ii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति"- 1350.00 लाख रु.;
- (iii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति"- 300.00 लाख रु.;
- (i) "Girls Hostels" – Rs.400.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from State Governments/Universities located in North Eastern Region and Sikkim.
- (ii) "Post-Matric Scholarship" – Rs.1500.00 lakhs;
- (b) "Welfare of SCs – Other Expenditure - Self Employment Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers" – Rs.300.00 lakhs;
- (c) "Social Welfare – Welfare of Handicapped" –
- (i) "Aids and Appliances for the Handicapped" – Rs.1000.00 lakhs;
- (ii) "Schemes for Implementation of Persons with Disabilities Act,1995" – Rs.350.00 lakhs;
- (iii) "Deen Dayal Disabled Rehabilitation Schemes" – Rs.950.00 lakhs;
- (iv) "Schemes for funding to National Institutes" – Rs.250.00 lakhs;
- (d) "Social Welfare – Prohibition – Education Work for Prohibition and Drug Abuse Prevention" – Rs.500.00 lakhs;
- (e) "Welfare of Backward Classes – Education" –
- (i) "Boys and Girls Hostels" – Rs.350.00 lakhs;
- (ii) "Post-Matric Scholarship" – Rs.1350.00 lakhs;
- (iii) "Pre-Matric Scholarship" – Rs.300.00 lakhs;

- (च) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता” - 1100.00 लाख रु.; और
- (छ) “समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” -
- (i) “वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 300.00 लाख रु.।
- (f) “Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes - Special Central Assistance to Scheduled Castes Component Plan” – Rs.1100.00 lakhs; and
- (g) “Social Welfare – Assistance to Voluntary Organisations” –
- (i) “Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged” – Rs.300.00 lakhs.

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (ii) “वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं को सहायता” - 150.00 लाख रु. योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।
- (ज) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - आर्थिक विकास - प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना” - 200.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित और सिक्किम की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।
- (घा) मुख्य शीर्ष “3601” -
- (क) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की जन्म के पश्चात देखभाल करने के लिए वित्तीय सहायता” - 500.00 लाख रु.;
- (ख) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान” -
- (i) “समाज कल्याण - अन्य अनुदान - वृद्धाश्रमों का निर्माण - 1000.00 लाख रु.; और
- (ii) “Assistance to Voluntary Organisations/ Panchayati Raj Institutions for Construction of Old Aged Homes” – Rs.150.00 lakhs – due to non-approval of the scheme by Planning Commission.
- (h) “Welfare of Scheduled Castes – Economic Development - Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana” – Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from State Governments located in North Eastern Region and Sikkim.
- (D) Major Head “3601” –
- (a) “Grants for Central Plan Schemes – Social Welfare – Welfare of Handicapped – Financial Assistance to Women with Disability to look after their children after Birth” –Rs.500.00 lakhs;
- (b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” –
- (i) “Social Welfare – Other Grants – Construction of Old Aged Homes” – Rs.1000.00 lakhs; and

- (ii) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - अधिसूचना से हटाई गई और यायावर जनजातियों का शैक्षिक और आर्थिक विकास" - 450.00 लाख रु।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने/अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (iii) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - कोचिंग और अनुषंगी स्कीमों - 300.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ड) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जाति संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता" - 125.00 लाख रु. उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" के अंतर्गत 154.04 लाख रु. की बचत (2267.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण" -

(क) "शिक्षा" -

- (i) "बाल छात्रावास" - 539.77 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ii) "बालिका छात्रावास" - 797.60 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विश्वविद्यालयों से उपयुक्त और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (ii) "Welfare of Backward Classes - Education - Educational and Economical Development of De-notified and Nomadic Tribes" - Rs.450.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-finalisation/non-approval of the schemes.

- (iii) "Welfare of Scheduled Castes - Education - Coaching and Allied Schemes" - Rs.300.00 - due to non-receipt of proposals from State Governments.

(E) Major Head "3602" - "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Special Central Assistance to Scheduled Castes Component Plan" - Rs.125.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificates.

(II) Under Major Head "2251" - saving of Rs.154.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2267.00 lakhs) was due to economy measures.

(III) Under Major Head "2225" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes" -

(a) "Education" -

- (i) "Boys Hostels" - saving of Rs.539.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs); and
- (ii) "Girls Hostels" - saving of Rs.797.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate and complete proposals from universities.

- (iii) अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा'' - 1073.51 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और कई संस्थाओं द्वारा पूर्ण स्लाटों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।
- (ख) "अन्य व्यय"-
- (i) "अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 2277.21 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त सिफारिश/निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ii) "मैला ढोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की स्वरोजगार स्कीम" - 4700.00 लाख रु. की बचत (9700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पात्र और इच्छुक लाभ पाने वालों के मामले में अधोमुखी संशोधन किए जाने के कारण हुई।
- (खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - अन्य व्यय - पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 354.09 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से गैर-सरकारी संगठनों के पर्याप्त व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (गा) "सामान्य - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान" - 201.95 लाख रु. की बचत (480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ण प्रस्ताव पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (IV) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (का) "विकलांगों का कल्याण" -
- (iii) "Top Class Education for SCs" – saving of Rs.1073.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals and non-utilisation of full slots by many Institutions.
- (b) "Other Expenditure" –
- (i) "Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes"– saving of Rs.2277.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient recommendation/inspection reports from the State Governments.
- (ii) "Self-Employment Scheme of Liberation and Re-habilitation of Scavengers" – saving of Rs.4700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9700.00 lakhs) was due to downward revision in the eligible and willing beneficiaries.
- (B) "Welfare of Backward Classes – Other Expenditure – Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes" – saving of Rs.354.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient viable proposals of NGOs from State Governments.
- (C) "General - Aid to Voluntary Organisations – Grants to Non-Government Institutions for running Pre-examination Training Centers" – saving of Rs.201.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.480.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of complete proposals.
- (IV) Under Major Head "2235" –"Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-
- (A) "Welfare of Handicapped" –

(क) “अंध, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान” - 649.31 लाख रु. की बचत (8891.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “अन्य स्कीमें” - 2539.86 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 16996.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने में विलम्ब होने/प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “मद्यनिषेध” - मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य” - 721.25 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 200.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्वैच्छिक संगठनों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(घा) “अन्य कार्यक्रम” - सूचना और जन शिक्षा कक्ष” - 435.90 लाख रु. की बचत (1040.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कई विज्ञापन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - अनुसूचित जाति

(a) “Expansion and improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped” – saving of Rs.649.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8891.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from National Institutes.

(b) “Other Schemes” – saving of Rs.2539.86 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.16996.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to delay in receipt/non-receipt of adequate proposals from the implementing agencies.

(B) “Prohibition – Education work for Prohibition” – saving of Rs.721.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs); and

(C) “Assistance to Voluntary Organisations – Assistance to Voluntary Organisations for providing Social Defence Services” – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from Voluntary Organisations.

(D) “Other Programmes – Information and Mass Education Cell” – saving of Rs.435.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1040.00 lakhs) was due to non-approval of many advertisement proposals.

(V) Under Major Head “3601” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes” –

(a) “Welfare of Scheduled Castes - Special Component Plan for Scheduled Castes –

- संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता' - 872.60 लाख रु. की बचत (46750.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) "समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 कार्यान्वयन स्कीम" - 389.95 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -
- (क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" -
- (i) "बाल छात्रावास" - 2689.80 लाख रु. की बचत (3150.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ii) "बालिका छात्रावास" - 2266.38 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ख) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - बाल और बालिका छात्रावास" - 998.80 लाख रु. की बचत (3050.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ग) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - आर्थिक विकास - प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना" - 9300.00 लाख रु. की बचत (9700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।
- Special Central Assistance to Scheduled Castes Component Plan" – saving of Rs.872.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46750.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from some State Governments.
- (b) "Social Welfare – Welfare of Handicapped – Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995" – saving of Rs.389.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from State Governments.
- (B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –
- (a) "Welfare of Scheduled Castes – Education" –
- (i) "Boys Hostels" – saving of Rs.2689.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3150.00 lakhs);
- (ii) "Girls Hostels" – saving of Rs.2266.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs); and
- (b) "Welfare of Backward Classes – Education – Boys and Girls Hostels" – saving of Rs.998.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs).
- Savings under the above three heads were due to non-receipt of adequate proposals from State Governments.
- (c) "Welfare of Scheduled Castes – Economic Development – Pradhan Mantri Adrash Gram Yojana" – saving of Rs.9300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9700.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अन्य स्कीमों" के अंतर्गत 372.29 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 283.03 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (36709.02 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 501.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय/अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" -

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - राजीव गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अध्येतावृत्ति" - 2100.00 लाख रु.।

(ख) "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" - 167.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 143.49 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम" - 29096.21 लाख रु.।

(ख) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम" - 5345.81 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5345.69 लाख रु. था।

(VI) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Education - Other Schemes" - saving of Rs.372.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Union Territory Administrations.

(VII) Under four heads savings of Rs.283.03 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 29 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.36709.02 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.501.00 lakhs/vide Annexure to Supplementary Demand for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Education - Rajiv Gandhi National Fellowship for Scheduled Castes" - Rs.2100.00 lakhs.

(b) "General - Direction and Administration - National Commission for Scheduled Castes" - Rs.167.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.143.49 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Education - Post-Matric Scholarship Scheme" - Rs.29096.21 lakhs.

(b) "Welfare of Backward Classes - Education - Post-Matric Scholarship Scheme" - Rs.5345.81 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5345.69 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए तंत्र" - 2666.34 लाख रु. का अधिक व्यय (4090.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम" - 603.69 लाख रु. का अधिक व्यय (2550.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कुछ राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 87.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 87 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	
मू.	O.	12550.00
पु.	R.	-50.00

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes - Education - Machinery for implementation of Protection of Civil Rights Acts, 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989" - excess of Rs.2666.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4090.00 lakhs); and

(B) "Welfare of Backward Classes - Education - Pre-Matric Scholarship Scheme" - excess of Rs.603.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2550.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from some State Governments.

(III) Under one head excess of Rs.87.00 lakhs occurred constituting 87 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

12500.00 12500.00 . .

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"		
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas		
मू.	O.	450.00	
पु.	R.	-450.00	

(I) 450.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - अनुसूचित जाति विकास निगम" के अंतर्गत 500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ अनुसूचित जाति विकास निगमों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (450.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम" के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) Provision of Rs.450.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "General (Capital outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance Development Corporation for Weaker Sections" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4225" - "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Scheduled Castes Development Corporation" - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from some State Scheduled Castes Development Corporations.

4. The above savings were partly (Rs.450.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "4225" - "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance Development Corporation for Weaker Sections".